राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 03/03/2022 को संपन्न 400वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

----00----

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 398वीं एवं 399वीं बैठक दिनांक 14/02/2022 एवं 15/02/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 398वीं एवं 399वीं बैठक दिनांक 14/02/2022 एवं 15/02/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: औद्योगिक परियोजना एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1313)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/2020, दिनांक 26/05/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/2020, दिनांक 26/11/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1, कुल एरिया– 0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित है। नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच एवं श्रेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 2.75 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजॉर्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच एवं श्रेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवेश मलिक, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एनप्रो इन्वायरो टेक एण्ड इन्जीनियरस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से डॉ. धवल नायक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–पूंजीपथरा 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 14.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 350 मीटर दूर है। कुरकेट नदी 7.9 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एनएचएम/बीएमडब्ल्यु/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

2. **भूमि उपयोगिता संबंधी विवरण** – आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2984/सामान्य/2019, दिनांक 25/11/2019 को एल.ओ.आई. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को जारी की गई है। साथ ही किये गये एम.ओ.यु.(अनुबंध) मास्टर सर्विस एग्रीमेंट के सरल क्रमांक 6 के अनुसार "Project Activities and Timeline: The contract signed with DMC shall be valid for a period of 6 months installation from land allotment and environmental clearance by DMC and 36 months of exection post commissioning of the CBWTF. The contract may be extended for another 24 months and there after further extension is dependent upon mutual agreement between DMC and the qualified bidder, based on satisfactory performance" का उल्लेख है। उक्त के संदर्भ में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एन.एच.एम./बीएमडब्ल्यू/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा रायगढ़ जिले में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा हेतु अनुमति प्रदाय की गई है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Description	Area(in SQM)	Area (%)
1.	Incinerator plant	208	5.1
2.	Shredder area	54	1.3
3.	Sterilization room	54	1.3
4.	Control room	36	0.9
5.	Treated waste storage room	80	2.0
6.	Hazardous waste storage room	54	1.3
7.	Red waste storage room	28	0.7
8.	Yellow waste storage room	28	0.7
9.	Other waste storage room	28	0.7
10.	E.T.P. Area	56	1.4
11.	Utility Area	70	1.7
12.	Vehicle wash Area	64	1.6
13.	Vehicle Parking Area	165	4.1
14.	Office	65	1.6
15.	Security Cabin	18	0.4
16.	Green Belt	1,340	33.0
17.	Collection and	120	3.0

	Segregation Area		
18.	Roads Area and Open Space Area	1,594	39.2
Total Site Area		4,062	100

4. ट्रीटमेंट फेसीलिटी –

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF INDUCTION PLASMA PYROLYSIS INCINERATOR**

Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis	
Capacity	100 KG Per Hour
Type	Cylindrical Vertical (solid waste feeding)
Volume	3 m^3
Moc (Shell)	SS310- 10mm Thick
Chamber Pressure	10-20 mm WC
Travel Speed	6.02 mtr/ Hr
Refractory Thick	100 mm
Flue Gas Velocity	1.3 mtr / Sec
Ash And Residue Separation	Ash Separator With Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention	Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Back Pressure Prevention	From Charging Door Compressed Door Mechanism
Explosion Safety Explosion	Davit Arrangement (Internal)
Waster Loading Mechanism	Hoper unit With Safety Door
Waste Feeding Mechanism	Hydraulic Ram
Feeding unit	5HP
Nature / Category of waste	Incinerable bio-medical waste with Maximum 85% moisture Content
Heat Loss Fraction	0.05
Design Temperature	1400 ^{0}C
Source Of Energy	Electric
Combustion Efficiency	At Least 99 %
Temperature Resistance (Primary Chamber)	1400^{0}C
Temperature Resistance (Secondary chamber)	1200^{0}C
Preheating Time	Maximum One Hour
Temperature In Primary Chamber	Relevant Temperature
Temperature In Secondary Chamber	1050 + 50 ^{0}C and 1050 – 50 ^{0}C
O_2 content in Primary Chamber	6%
Residence time for flue gas in Secondary Chamber	2 sec

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF SECONDARY CHAMBER**

Description	Specification
Type	Cylindrical Statical
Inclination	Vertical 90 or horizontal

Volume	3 m^3
MOC(Shell)	SS304 or MS 2062 refractory lined
Chamber pressure	10-20 mm WC
Refractory Thick	100 mm
Flue gas velocity	1.9 mtr/sec
Ash and Residues Separation	Ash Separator with Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention Unit	High Pressure Air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Explosion Safety	Explosion Davit Arrangement (Internal) Top With Counter Weight Linked With PLC Control
Retention time of flue gases in Chamber	2 - 2.2 Second.

- **Autoclave**

Technical Specifications	
Capacity	100 Litre/hr
MOC	SS - 304
Model No.	NEET AC100
Insulation	Ceramic wool on outer side
Pressure	2.1 kg/cm^2
Air Emission	Highly Odorous but Non Toxic
Heating Media	By steam generated from Electric heater arrangement.
Feeding	Hydraulic System
Safety Instrument	Pressure Gauge and Safety Valve
Temperature	121 to 134°C
Design Temperature:	150°C
Water Emission	Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base
Treatment Effluent	Low Wet Waste 10 % Heavier all Material Acceptance Recognizable

- **Shredder**

Technical Specifications	
Capacity	100 Kg/Hr x 1 No
MODEL No	NEET AC100
Waste Materials	Biomedical waste
Power	5 HP
Motor	3 Phase 50 Hz 415 VAC
Hopper Size	300 X 400 mm Height.
Drive	V belt Pulley drive
Required Space	2m^2.(only machine)
MOC	MS Fabricated
MOC of Blade	W.P.S. Hardened changeable Blade
Control Panel	Dual starter ON/OFF switch
Shredding Size	25 X50 mm Waste Cutting
Bearing	SKF/ZKL Ball Bearing.
Cutting Blade	5 Nos.(3 movables & 2 fix blade)

5. **प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक तथ्य** – प्रस्तावित परियोजना में शासकीय अस्पताल, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, बल्ड बैंक एवं शासकीय उप–स्वास्थ केन्द्र आदि में बेडो की संख्या एवं बॉयो मेडिकल वेस्ट संग्रह किये जाने संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **हजाड्र्स एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	**TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE**	**SOURCE**	**QUANTITY GENERATED (Kg/Day)**	**METHOD OF DISPOSAL**
36.2	Ash	Incinerator	500	Sent to TSDF
34.3	ETP Sludge	ETP area	75	Sent to TSDF site for landfilling or cement co-processing
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery / TSDF
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	10	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries		As generated	Sent to Authorized Recyclers

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 10 किलोलीटर प्रतिदिन जिसमें सें फ्रेश वॉटर 5.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वॉटर 4.5 किलोलीटर प्रतिदिन (इनसिनरेटर/स्क्रबर में 4.7 किलोलीटर प्रतिदिन, फ्लोर वॉशिंग में 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन, व्हीकल वॉशिंग में 1 किलोलीटर प्रतिदिन, सॉल्युशन बनाने में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, स्टीम जनरेशन में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग में 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। इस हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण (CGWA) से अनुमति लिया जाएगा।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 0.6 किलोलीटर प्रतिदिन एव औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 4.6 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिंक टैंक/सोक पिट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्ल्युऐंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–10 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ईफ्ल्युऐंट

ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड, पी.एस.एफ. एवं ए.सी.एफ., कैमिकल डिसइन्फेक्शन फेसिलिटी (सोडियम हाइपोफ्लोराइड/क्लोरिन/पोटेशियमपर मैगनेट का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट मीडिया की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यो में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 1,345 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3.6 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर एवं गहराई 0.2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Plasma Pyrolsis में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु क्विंचर के साथ पेक्ड बैड स्क्रबर एवं वेंचुरी स्क्रबर तथा चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की उंचाई 12 मीटर होगी। उक्त चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।
9. **परिवहन व्यवस्था** – जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।
10. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 150 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.व्ही.ए. का एक डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
11. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,340 वर्गमीटर (लगभग 33 प्रतिशत) में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
12. प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 2.75 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में एवं जारी टी.ओ.आर. में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 16 अक्टूम्बर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 9 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 14.9 से 51 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 56.4 से 94 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 3.6 से 25.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{\text{एक्स}}$ 7.8 से 32 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 0.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, हाईड्रोक्लोरिक एसीड की मात्रा 0.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एन.ओ.$_{\text{एक्स}}$ की मात्रा 1.25 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

   iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

   iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 49.5 डीबीए से 54.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.6 डीबीए से 43.7 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 11/08/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान बंजारी मंदिर परिसर के समीप ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/10/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र में हाथीयों के आवागम के लिये धरमजयगढ़ से बंगुरसिया तक ऐलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ऐलिफेंट वॉच टॉवर भी बनाया गया है।

   ii. प्रस्तावित क्षेत्र के समीप केलो नदी एवं कुरकेट नदी 7 कि.मी. है। परियोजना से दूषित जल नदियों में प्रवाहित किया जाएगा।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. प्रस्तावित कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र ऐलिफेंट कॉरिडोर के बाहर है।

ii. जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ईटीपी लगाया जाएगा साथ ही किसी प्रकार का दूषित जल परियोजना क्षेत्र के बाहर नहीं निस्तारित किया जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at Government Primary School, **Village- Punjipathara**	
			Rain Water Harvesting System	0.36
			Roof top Solar Panal System	3.12
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.78
			Digitization of School Projectors, Computers, Tables	1.24
			Total	**5.50**

उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, साल, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में एवं जारी टी.ओ.आर. में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित परियोजना में शासकीय अस्पताल, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, बल्ड बैंक एवं शासकीय उप–स्वास्थ केन्द्र आदि में बेड की संख्या, बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा एवं संग्रहण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया

जाए। साथ ही उक्त संस्थाओं से जनित बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा अनुसार बॉयो मेडिकल वेस्ट फेसिलिटी किया जा रहा है अथवा नहीं? के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
4. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना के स्थापना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. उद्योग एवं उद्योग परिसर के चारों ओर एम.पी.एन. (Most Probable Number) स्टडी प्रतिवर्ष किए जाने हेतु शपथ पत्र (Under Taking) प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस–पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु शपथ पत्र (Under Taking) प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित परियोजना में कितने व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगें एवं उनके सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Under Taking) प्रस्तुत किया जाए।
11. प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट एवं ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु टी.एस.डी.एफ., सीमेंट इकाईयों में को–प्रोसेसिंग के लिए एवं अधिकृत रिसाईक्लर से अनुबंध के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
12. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स (प्रो.– श्री त्रिपतपाल सिंह भुई, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1563)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /61066/2021, दिनांक 22/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/61066/2021, दिनांक 30/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 714/1, 740,

744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 759, 760, 761 एवं 773, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,38,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री त्रिपतपाल सिंह भुई, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एसीरिस इन्वायरोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री अमित शाह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 08/07/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के पृ. क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/ई–निविदा/2018/1081(2) रायपुर, दिनांक 28/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 166.68 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी (ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/1281/ख.लि./तीन–6/उ.प./2020 रायपुर, दिनांक 19/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 714/1, 747, 749, 755, 759, 760, 761, श्री त्रिपतपाल सिंह एवं मनजीत कौर भुहि के नाम पर है। खसरा क्रमांक 773, 740, 744, 745, 746, 750, 751, 752, 748 एवं 753 श्री त्रिपतपाल सिंह, मनजीत कौर

भुहि, श्री अनमोल सिंह एवं श्री हरनेक सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि संबधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा/2700 रायपुर, दिनांक 10/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा सें 5 कि.मी. से 6 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 250 मीटर, स्कूल ग्राम–धनसुली 250 मीटर एवं अस्पताल मंदिर हसौद 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.1 कि.मी. दूर है। नाला 50 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 37,27,500 टन, माईनेबल रिजर्व 24,11,325 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 23,87,211 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 12,698 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 15,867.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10.03 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	–
द्वितीय	2,38,012
तृतीय	2,38,012
चर्तुथ	2,38,012
पंचम	2,38,012
षष्ठम	2,38,012
सप्तम	2,38,012

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 1 प्रतिशत माईनिंग लॉस दर्शाते हुये रिकव्हरेबल रिजर्व (23,87,211 टन) की गणना की गई है, जबकि तकनीकी दृष्टिकोण से 1 प्रतिशत माईनिंग लॉस होना उपयुक्त नहीं है। समिति का मत है कि न्यूनतम 5 प्रतिशत माईनिंग लॉस माने जाने पर रिकव्हरेबल रिजर्व 22,90,758 टन शेष होगा। अतः 10 वर्षो हेतु खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता 2,38,012 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 2,29,000 टन प्रतिवर्ष के लिए ही विचार किया जाएगा।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.75 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3,175 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18.21 से 33.56 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 50.88 से 66.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.12 से 14.79 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 8.43 से 17.67 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 45.7 डीबीए से 48.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 37.23 डीबीए से 39.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

    v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 274 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 309 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

18. खदानों के क्लस्टर की लोक सुनवाई दिनांक 07/09/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान–पंचायत भवन, ग्राम पंचायत धनसुली, तहसील–आंरग, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/09/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या वृक्षारोपण किये जायेगें।

    ii. हैवी ब्लास्टिंग होने से गांव के मकानों एवं समीप में स्थित तालाब को क्षति होगा।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3,175 नग वृक्षों का रोपण प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

ii. हैवी ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य प्रशिक्षित लोगों के द्वारा ही किया जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर 30 से 40 स्थानीय लोगों को आश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 87 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 1.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (1.5 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,56,500/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षो के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,78,950/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (1.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु अनुमानित राशि 50,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 34,05,250/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 10,45,450/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 6,25,150/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 6,09,500 / – प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 5,00,000 / – प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों / एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000 / – प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के पहुँच मार्ग में (2,100 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 5,08,000 / – प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 3,81,000 / – प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 90,000 / – प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 10,99,000 / – व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। जिसमें समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त 87 खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
210.84	2%	4.21	Following activities at 2 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	2.37
			Potable Drinking water Facility with 5 year AMC	0.50
			Plantation with fencing	1.35
			Total	**4.22**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–धनसुनी एवं (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–बाराडेरा में किया जाएगा।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग रुपये 210.8 लाख है। विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी (ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (खसरावार सहित) एवं उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

7. प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।

8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

10. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स स्टारएक्स मिनरल्स (प्रो.–श्री वजीर सिंह, गोंडपेण्ड्री लाईम स्टोन माईन), ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1836)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/231865/2021, दिनांक 29/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 342, 347, 348, 349/2, 350, 355, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360, 492/1, 492/2, 356/1 एवं 356/2 कुल क्षेत्रफल–4.78 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,99,346 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राकेश धनकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोंडपेण्ड्री का दिनांक 15/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4452/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 23/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 865/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 23 खदानें रकबा 51.87 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 865/खनि. लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि मेसर्स स्टारएक्स मिनरल्स के नाम पर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 342/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 08/06/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4824 दुर्ग, दिनांक 09/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 50 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.54 कि. मी., स्कूल ग्राम–गोंडपेण्ड्री 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल अचानकपुर 0.76 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.79 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,70,500 टन, माईनेबल रिजर्व 14,95,300 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 14,20,535 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,400 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.15 मीटर एवं ओवर बर्डन की मोटाई 0.85 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4

वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,76,700
द्वितीय	3,20,626
तृतीय	4,23,586
चतुर्थ	4,99,346

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
    - **a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
    - **b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 865/खनि. लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 23 खदानें, रकबा 51.87 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-गोंडपेण्ड्री) का रकबा 4.78 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-गोंडपेण्ड्री) को मिलाकर कुल रकबा 56.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil and overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स सेमरा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अवध कुमार पाठक), ग्राम–सेमरा, तहसील–ओड़गी, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1837)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 228140/2021, दिनांक 04/10/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेमरा, तहसील–ओड़गी, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 345/2, कुल क्षेत्रफल–1.39 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–22,356 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अवध कुमार पाठक, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरा का दिनांक 06/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन पृ. क्रमांक/1282/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1963/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1963/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 13/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, रेल लाईन, गुरूद्वारा एवं मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1357/गौण खनिज/न.क्र.03/2020–21 सूरजपुर, दिनांक 26/06/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री बाबूलाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./122 सूरजपुर, दिनांक 12/01/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवेदित क्षेत्र की सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख नहीं है। अतः आवेदित क्षेत्र की सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमरा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–सेमरा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 170 मीटर दूर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,45,276 टन, माईनेबल रिजर्व 1,68,811 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,60,370 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,913 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 4,493.5 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7.5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	22,356
द्वितीय	22,356
तृतीय	22,356
चतुर्थ	22,356
पंचम	22,356

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनिज साधारण पत्थर श्रेणी का है। समिति का मत है कि प्रस्तावित खनिज साधारण पत्थर श्रेणी के अंतर्गत किस वर्ग का है, खनिज विभाग से प्रमाणित कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनिज साधारण पत्थर श्रेणी के अंतर्गत किस वर्ग का है, खनिज विभाग से प्रमाणित कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स किरन्दुल आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– अब्दुल वाहीद सिद्दीकी), ग्राम–किरन्दुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1391)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 56475/2021, दिनांक 11/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरन्दुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 46, कुल क्षेत्रफल–3.397 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 71,843.75 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 03/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स श्री घनश्याम देवांगन (भाठागांव सॉईल/आर्डिनरी क्ले क्वारी), ग्राम–भाठागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1840)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 242241/2021, दिनांक 04/12/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–भाठागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120, कुल क्षेत्रफल – 1.032 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,000 घनमीटर (1,500 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री घनश्याम देवांगन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भाठागांव का दिनांक 06/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5812/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 16/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2007/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2007/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1708/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 12/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री मिथलेश्वर दास के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्रं. 10–1/7386 राजनांदगांव, दिनांक 10/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भाठागांव 100 मीटर, स्कूल ग्राम–भाठागांव 150 मीटर एवं अस्पताल राजनांदगांव 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है। तालाब 100 मीटर दूर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 20,640 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,658 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,192 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 668 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौडाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000
द्वितीय	1,000
तृतीय	1,000
चर्तुथ	1,000
पंचम	1,000

13. उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन. 22–21/2020–आई.ए./III [ई138949], दिनांक 28/01/2022 द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन किया गया है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना में ईंट भट्टा हेतु जारी दिशा–निर्देश के टिप्पणी क्रमांक 6 के अनुसार "ईंट भट्टों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकायो, संवेदनशील रिसेप्टर्स इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुये स्थापित मापदंडों को सक्त बना सकते है।" का उल्लेख है।

उक्त दिशा–निर्देश के तहत् आवेदित खदान से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र तक ईट भट्टें का निर्माण नहीं किया जाना है।

15. लीज क्षेत्र से निकटतम आबादी ग्राम–भाठागांव 100 मीटर की दूरी में स्थित है। उक्त दिशा–निर्देश के आधार पर आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र छोड़े जाने की स्थिति में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई में उत्खनन हेतु बहुत कम क्षेत्र अवशेष होना संभावित है। अतः प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री सरोज कुमार साहू), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1841)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69761/2021, दिनांक 04/12/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल–0.22 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–720 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नेहरू साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 286/क/खलि/न.क्र./2022 महासमुंद, दिनांक 24/02/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2007 से 31/12/2007	15
01/01/2008 से 31/12/2008	11

01/01/2009 से 31/12/2009	20
01/01/2010 से 31/12/2010	23
01/01/2011 से 31/12/2011	48
01/01/2012 से 31/12/2012	09
01/01/2013 से 30/06/2013	42

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5799/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 16/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1671/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 18/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें, क्षेत्रफल 14.28 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1671/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 18/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, रेल लाईन, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री सरोज कुमार साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 16/02/2005 से 15/02/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। अवधि विस्तार के संबंध में खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के अपील क्रमांक एफ 4–17/2019/12 के अनुसार अपीलार्थी श्री सरोज साहू आत्मज श्री भरतलाल साहू द्वारा कार्यालय कलेक्टर, जिला–महासमुंद में गौण खनिज फर्शीपत्थर के उत्खनिपट्टा के नवीनीकरण को "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015" यथासंशोधित के नियम 38क के प्रावधानांतर्गत गुण दोष के आधार पर नियमानुसार विचार कर प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके संबंध में जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/906/क/ख.लि./उ.प./न.क्र. 59/2015 महासमुंद, दिनांक 25/06/2021 के अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में संशोधन दिनांक 23/03/2016 के नियम 38क (3) एवं (4) के तहत् उत्खनन पट्टो की अवधि विस्तारित किये जाने हेतु पूरक अनुबंध किये जाने के संबंध में संचालक एवं भौमिकी खनिकर्म, रायपुर पत्र क्रमांक 2903–29/ख.लि.4/न.क्र.05/2015 दिनांक 07/06/2016 के निर्देश में निहित 4.1 से 4.4 उत्खनन पट्टो के प्रकरणों का निम्न कंडिकाओं अनुसार परीक्षण उपरांत ही उत्खननपट्टा की अवधि में वृद्धि निम्नानुसार शर्तो की पूर्ति के फलस्वरूप किया जावेगा:–

4.1 उत्खननपट्टाधारी द्वारा पट्टे के शर्तो एवं निवबंधनों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? उत्खननपट्टा विरूद्ध यदि कोई शर्त उल्लंघन के कारण,

कारण बताओं नोटिस की कार्यवाही लंबित हो तो उक्त उल्लंघन के निराकरण पश्चात् ही पट्टा समयावधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाये।

4.2 छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51(6) के तहत् उत्खननपट्टा व्यपगत (लैप्स) की श्रेणी में नहीं आ रहा हो।

4.3 उत्खननपट्टे का उत्खनन योजना अनुमोदित हो तथा पर्यावरण सम्मति प्राप्त हो।

4.4 उत्खननपट्टाधारी पर किसी भी प्रकार का खनिज राजस्व बकाया न हो।

उपरोक्त शर्तो के आधार पर उत्खनिपट्टा लीज विस्तारीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जाएगा'' का उल्लेख है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि/खनिज/2021 महासमुंद, दिनांक 19/05/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 13 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ेना 270 मीटर, स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 300 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–मुढ़ेना 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.2 कि.मी. दूर है। महानदी 400 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 11,596 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 2,129 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,022 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,362 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। स्टोन कटर मशीन से किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	720
द्वितीय	513
तृतीय	405
चतुर्थ	326
पंचम	165

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.14 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा।

इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 320 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुत माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,362 वर्गमीटर है, जिसमें से 75 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर एवं 45 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 120 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के पश्चिमी भाग के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में ऊपरी मिट्टी शेष है। लीज क्षेत्र के शेष ऊपरी मिट्टी का उत्खनन पूर्व में ही किया जा चुका है। समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मोटाई, मात्रा एवं उपयोग संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1671/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 18/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें, क्षेत्रफल 14.28 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 0.22 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 14.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Readable copy of NOC Gram Panchayat .

   iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iv. Project proponent shall submit top soil and overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

   v. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

   vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and

2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

x. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainance cost and irrigation cost and the details alongwith photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री अटल कुमार गोदवानी (जोरातराई लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1842)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 242268/2021, दिनांक 06/12/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 142(पार्ट), 143(पार्ट), 144(पार्ट), 146(पार्ट), 147(पार्ट), 148, 149, 150, 153(पार्ट) एवं 154(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अटल कुमार गोदवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई का दिनांक 15/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलॉग विथ इन्व्हारोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5810/खनि 02/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 16/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2329/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें, रकबा 21.07 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2329/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1656/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 05/10/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि कु. रोमा गोदवानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्रं. 10–1/2021/5996 राजनांदगांव, दिनांक 30/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 549 से 300 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ीपार 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–मुढ़ीपार 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–मुढ़ीपार 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.5 कि.मी. दूर है। मनघटा वनक्षेत्र 300 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 11,85,000 टन, माईनेबल रिजर्व 4,95,172 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,70,412 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,870 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 10,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000	षष्टम	20,000
द्वितीय	20,000	सप्तम	20,000
तृतीय	20,000	अष्टम	20,000
चर्तुथ	20,000	नवम	20,000
पंचम	20,000	दशम	20,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 970 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 10,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि उक्त ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाने के उपरांत यदि ऊपरी मिट्टी शेष रहेगी तो लीज क्षेत्र से लगी हुई रेल लाईन के तरफ की भूमि हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाएगा। अतः समिति का मत है कि शेष ऊपरी मिट्टी को रेल लाईन की तरफ सहमति प्राप्त भूमि में फैलाकर सघन वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2329/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें, रकबा 21.07 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) का रकबा 1.58 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) को मिलाकर कुल रकबा 22.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit top soil and overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

   v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

   vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

   vii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

   viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों से प्रेषित किये गये आवेदन पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स पण्डरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री आकाश जायसवाल), ग्राम–पण्डरी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1671)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 213228/2021, दिनांक 28/05/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/06/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/07/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–पण्डरी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 3017, 3037/2 एवं 3038, कुल क्षेत्रफल–1.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आकाश जायसवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पण्डरी का दिनांक 24/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 743/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 501/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 500/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 205/गौण खनिज/उत्खनन पट्टा/2020 बलरामपुर, दिनांक 26/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि भूमि श्रीमती सीमा जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2019/3126 बलरामपुर, दिनांक 10/06/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पण्डरी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–पण्डरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल वाड्रफनगर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 50 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,246 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,533 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 409 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का

छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	1,500	15,00,000
द्वितीय	1,500	15,00,000
तृतीय	1,500	15,00,000
चर्तुथ	1,500	15,00,000
पंचम	1,500	15,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	1,500	15,00,000
सप्तम	1,500	15,00,000
अष्ठम	1,500	15,00,000
नवम	1,500	15,00,000
दशम	1,310	13,10,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 208 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at Government Primary School, **Village-Murliganj**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.20
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं कोयले से जनित फ्लाई ऐश के उपयोग संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष कुमार वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

2. कार्यालय उपनिदेशक, एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/1323 अम्बिकापुर, दिनांक 04/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा से 7.5 कि.मी. की दूरी पर है।

3. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंचमार्ग के रख-रखाव हेतु किया जाएगा। कोयले से जनित फ्लाई ऐश की मात्रा 5 से 8 प्रतिशत है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण हेतु किया जाएगा।

4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेटर पैड (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा एवं किस उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा की उपलब्धता है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. अनुमोदित माईनिंग प्लान में 1 घनमीटर मिट्टी एवं 1 घनमीटर फ्लाई ऐश से 500 नग ईंट निर्माण का उल्लेख है। जबकि वास्तव में कुल 1 घनमीटर (मिट्टी + फ्लाई ऐश) से 500 नग ईंट निर्माण होता है। प्रस्तावित उत्खनित मात्रा 10 वर्षों में कुल रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा 13,533 घनमीटर से अधिक न हो। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेटर पैड (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) में प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा एवं किस उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा की उपलब्धता है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत पण्डरी का दिनांक 10/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयले को एस.ई.सी.एल. उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु कोयले की उपलब्धता है। इस बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. संशोधित क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1926/खनिज़/खलि.2/2022 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 19/01/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार 1 घनमीटर मिट्टी एवं 1 घनमीटर फ्लाई ऐश से 1,000 नग ईंट निर्माण किया जाएगा।
4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 205/गौण खनिज/उत्खनन पट्टा/2020 बलरामपुर, दिनांक 26/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स पण्डरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्रीमती ललिता जायसवाल), ग्राम–पण्डरी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर – रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1688)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 213468/2021, दिनांक 31/05/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/06/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/07/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–पण्डरी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 1260 एवं 1261, कुल क्षेत्रफल– 1.039 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती ललिता जायसवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पण्डरी का दिनांक 23/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक

741/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 502/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 503/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 289/गौण खनिज/उत्खनन पट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 16/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि भूमि खसरा क्रमांक 1260 श्री रतनेश के नाम पर है एवं खसरा क्रमांक 1261 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/959 बलरामपुर, दिनांक 22/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पण्डरी 0.56 कि.मी., स्कूल ग्राम–पण्डरी 0.6 कि.मी. एवं अस्पताल वाड्रफनगर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 50 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,780 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,696 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,961 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 474 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया

जायेगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	1,500	15,00,000
द्वितीय	1,500	15,00,000
तृतीय	1,500	15,00,000
चर्तुथ	1,500	15,00,000
पंचम	1,500	15,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	1,500	15,00,000
सप्तम	1,500	15,00,000
अष्ठम	1,500	15,00,000
नवम	1,500	15,00,000
दशम	1,500	15,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 237 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details. for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at Government Primary School, **Village-Parsatola**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.20
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं कोयले से जनित फ्लाई ऐश के उपयोग संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

2. कार्यालय उपनिदेशक, एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/1321 अम्बिकापुर, दिनांक 04/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा से 8.5 कि.मी. की दूरी पर है।

3. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंचमार्ग के रख–रखाव हेतु किया जाएगा। कोयले से जनित फ्लाई ऐश की मात्रा 5 से 8 प्रतिशत है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण हेतु किया जाएगा।

4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेटर पैड (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा एवं किस उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा की उपलब्धता है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. अनुमोदित माईनिंग प्लान में 1 घनमीटर मिट्टी एवं 1 घनमीटर फ्लाई ऐश से 500 नग ईंट निर्माण का उल्लेख है। जबकि वास्तव में कुल 1 घनमीटर (मिट्टी + फ्लाई ऐश) से 500 नग ईंट निर्माण होता है। प्रस्तावित उत्खनित मात्रा 10 वर्षों में कुल रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा 13,961 घनमीटर से अधिक न हो। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेटर पैड (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) में प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा एवं किस उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा की उपलब्धता है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत पण्डरी का दिनांक 10/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयले को एस.ई.सी.एल. उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु कोयले की उपलब्धता है। इस बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. संशोधित क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1928/खनिज/खलि.2/2022 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 19/01/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार 1 घनमीटर मिट्टी एवं 1 घनमीटर फ्लाई ऐश से 1,000 नग ईंट निर्माण किया जाएगा।
4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन. 22–21/2020–आई.ए./III [E138949], दिनांक 28/01/2022 द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन किया गया है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना में ईंट भट्टा हेतु जारी दिशा–निर्देश के टिप्पणी क्रमांक 6 के अनुसार "ईंट भट्टों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकायो, संवेदनशील रिसेप्टर्स इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुये स्थापित मापदंडों को सक्त बना सकते है।" का उल्लेख है।

   उक्त दिशा–निर्देश के तहत् आवेदित खदान से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र तक ईट भट्टें का निर्माण नहीं किया जाना है।

7. लीज क्षेत्र से निकटतम आबादी ग्राम–पण्डरी 560 मीटर की दूरी में स्थित है। उक्त दिशा–निर्देश के आधार पर आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र छोडे जाने की स्थिति में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई में उत्खनन हेतु बहुत कम क्षेत्र अवशेष होना संभावित है। अतः प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़